राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1669/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, पाली। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स टूडे मार्केटिंग फतेह सागर, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री .पी.एम.चौपड़ा,
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 60/आरवेट/जेयूए/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,.2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित कर रूपये 29,400/– एवं शास्ति राशि रूपये 44,100/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2010 को जोधपुर से पाली आते समय, पाली में नया गांव के पास वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 0858 को चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी श्री ललित भाटी पुत्र श्री प्रेमसिंह भाटी निवासी लालसागर जोधपुर से वाहन में लदे माल के दस्तावेज मांगने पर निम्न दस्तावेज पेश किये :–

1. इन्वॉयस नं. 1319 दिनांक 25.09.2010 रूपये 486.63/– विक्रेता –A to Z ट्रेडर्स फतेह सागर के पास, जोधपुर। माल आई.सी. क्रीम बुलियन सुपारी क्रेता–रोकड, पाली।
2. इन्वॉयस नं. 4511 दिनांक 25.09.2010 रूपये 2003.19/– विक्रेता मैंसर्स मुरलीधर राजकुमार एण्ड सन्स, फतेह सागर के पास, जोधपुर। माल–क्रेन सुपारी फिनी क्रेता–रोकड, पाली।
3. लेटर पेड क्रमांक NIL दिनांक 25.09.2010 मैसर्स टूडे मार्केटिंग नीलकण्ठ महादेव फतेहसागर के पास, जोधपुर माल स्वाद गुटखा 21 बैग।

दस्तावेजों की जांच पर पाया कि स्वाद गुटखा बैग 21 का कोई वेट चालान/वैट इन्वॉयस डिस्पेच मेमो इत्यादि संलग्न नहीं। सशक्त अधिकारी ने नियमानुसार पत्रावली स्थानान्तरण के पश्चात कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर के धारा 76(6) के तहत रूपये 44,100/– कर रूपये 29,400/– आरोपित किया गया। सशक्त

लगातार.....2

अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित कर एवं शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी पर वेट इन्वॉयस साथ में नहीं होने के कारण जो कर एव शास्ति आरोपित की गई है व अविधिक है। वेट चालान एवं डिस्पेच मीमों वाहन के ड्राइवर के पास में थे तथा माल किसी व्यक्ति विशेष को नहीं भेजा था तथा माल के साथ सेल्समेन था जिसको अलग से बिल बुक दी हुई थी तथा जैसे जैसे माल की बिक्री की जाती है उसके द्वारा वेट इन्वॉयस जारी की जाती है। यह समस्त स्थिति सशक्त अधिकारी को स्पष्ट कर दी थी। इस संबंध में उन्होंने वाहन की आर0सी0 कॉपी एवं ललित भाटी सेल्समेन के कार्यरत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवहनित माल गुटखा के साथ में डिस्पेच मीमों साथ में था जिसमें कार्टून की संख्या अंकित थी तथा नोटिस की पालना में भी अंकित कर दिया था कि फर्म की रनिंग बिल बुक साथ में है। आम तौर पर जब सेल्समेन द्वारा माल का विक्रय विभिन्न स्थानों पर किया जाता है तो साथ में बिल बुक से माल का विक्रय करते हुए माल बेचा जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा परिवहन माल के साथ में चालान में माल के संबंध में विवरण अंकित था तथा साथ में सेल्समेन द्वारा माल के विक्रय के संबंध में बिल–बुक साथ में थी ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी की इसमें किसी प्रकार की कर चोरी की मंशा प्रतीत नहीं होती है। जांय अधिकारी ने भी सम्बन्धित फर्म के रिकार्ड से कोई जांच नहीं की क्या माल उनके स्टाक/बहीयात में इन्द्राज था या नहीं ? ऐसी स्थिति में आरोपित कर व शास्ति विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।

18.10.2016

(मदन लाल)
सदस्य